SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Sir, I would like to read the judgement. I quote: "In view of the said agreement between the counsels, that is, the counsel for Sampath and the counsel for Tamil Nadu, the above arrangement reflects the rule of 50 per cent correctly and faithfully..

"..the Order dated 18-8-94 is modified to this extent."

Therefore, they agreed to 50 per cent reservations. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shri Virumbi.

SHRI S. VIDUTHALAI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, while associating myself with what Mr. Venkatraman said, I want to make it clear that in the all-party meetings in Madras, they agreed to 69 per cent reservation. The Tamil Nadu Reservation Act was passed. Subsequently, it was to be included in the Ninth Schedule. After it was so included, the petition was filed in the Court. Sir, it had been included in the Ninth Schedule at that time. The Tamil Nadu Government has failed to inform the Court that it has been already included in the Ninth Schedule and therefore, we could implement 69 per cent reservation. The Tamil Nadu Government has not given this type of statement to the Supreme Court. Instead of giving the proper information about what has happened in Parliament, that it was included in the Ninth Schedule, unfortunately, the Government of Tamil Nadu has accepted 50 per cent reservation even after having actually included the Act in the Ninth Schedule. 'After having included the Act in the Ninth Schedule' is an important phrase. Unfortunately, the Government has accepted 50 per cent reservation. That is why when he says that it is treacherous, it is a fact. It is not wrong. It is not mala fide. It is a fact that they have done a great disservice to the people of Tamil Nadu. Thank you, Sir. *(Interruptions)*

SHRI S. MUTHU MANI: Abiding by the decision of the Court is an entirely different issue. They seek an opportunity to politicise the matter. *(Interruptions)*

They are expecting some words from our hon. Chief Minister against the verdict of the Supreme Court to politicise the matter. *(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, please allow me for one minute... *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): You have pollution in the Capital (Interruptions)..

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, it is not a dabate. It is a Special Mentions... *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHAURI): Shri Ram Ratan Ram.

Atrocities on people belonging to Scheduled Castes in Uttar Pradesh

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, जो आपने मुझे इस सदन में गरीबों, दलितों और उनकी महिलाओं पर उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया ।

उत्तर प्रदेश में संभवत. यह 4 दिसंबर, 1993 को स.पा. और ब.स.पा. की सरकार आई । उससे आशा की जाती थी कि वह गरीबों की, दलितों की और शोषितों की सहायता करेगी, उनके विकास में वृद्धि

करेगी । यहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों का संबंध है, वहां पर सरकार ने अवश्य ही प्रशंसनीय काम किए हैं, हरिजन अधिकारियों, पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर पोस्टिंग की है । जो अच्छे काम हुए हैं, उनकी तो तारीफ की जानी चाहिए और मैं कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही राजनैतिक समीकरण तो हो गये, सामाजिक समीकरण मे यह सरकार बिल्कुल फैल हो गई है । इसी असफलता के कारण ही दलितों, हरिजनों और उनकी महिलाओं पर आए दिन अत्याचार होते चले जा रहे हैं ।

माननीय, 25 दिसम्बर, 1993 को फतेहपुर में सलवानपुर डेरा मे पांच दलितो की हत्या की गई, उनके मकानों में आग लगा दी गई और उनकी औरतों को बेइज्जत किया गया । इसी प्रकार बाराबंकी जिले में 14–15 दिसम्बर की रात में कुछ लोगों ने, जिनको डकैत कहा गया, एक गांव में हमला किया और उसमें केवल दलितों के घरों को ही लूटा गया, दलितों को मारा गया, उनको पीटा गया । वाराणसी के चिरई गांव के विधानसभा क्षेत्र में मास स्केल पर हरिजनों और गरीब यादवों को मारा गया, उनके घरों को लूटा गया । इलाहाबाद के दोना गांव में 21 जनवरी, 1994 को एक दलित महिला श्रीमती सिवपतिया को गांव में नंगा करके घुमाया गया और पुलिस वहां जल्दी तो पहुंच गई, लेकिन मुलजिमों को पकड़ने में असमर्थ रही। बदायूं जिले के घनारी गांव में 30 जनवरी, 1994 को 40 दलितों के मकान जला दिए गए, , उनके घरों को लूटा गया, उनको मारा गया और उनको बेइज्जत किया गया । 14 फरवरी, 1994 को इलाहाबाद जिले के सलादपुर गांव में तीन दलित महिलाओं की हत्या की गई । 8 मार्च, 1994 को मेरठ जिले के भोला की झाल में जिले सिंह नामक हरिजन को जिंदा जलाकर मार डाला गया । 10 मार्च, 1994 को मेरठ के तातीरी गांव में भोपाल सिंह नामक हरिजन की हत्या करके उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए। 22 अक्तूबर, 1994 को आजमगढ़ जिले के छोटी हरैया गांव में तीन हरिजन युवकों को गोली से उड़ा दिया गया। एस.सी./एस.टी. नेशनल कमीशन के चेयरमैन जब वहां गए तो उनको यह सुनकर आश्चर्य और दुख हुआ कि आजमगढ़ जिले में 12 निर्दोष हरिजनों की हत्या की जा चुकी है और उस समय वर्तमान सरकार के दो मंत्री आजमगढ़ में थे उन्होंने उस गांव में, घटना-स्थल पर विजिट करना उचित नहीं समझा । अभी हाल में अलीगढ़ जिले के दादों गांव में 17 हरिजन एवं मुस्लिम महिलाओं के साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया, वह किसी से छिपा नहीं है । लगातार तीन घंटे तक दरिंदगी का व्यवहार उनके साथ किया गया । जब पुलिस के पास लोग गए तो पुलिस ने मामले को दबाना चाहा और उनके मामले को दफा 323/504 आई.पी.सी. के अंतर्गत दर्ज किया। जब पेपर्स के माध्यम से लोगों को यह ज्ञात हुआ और लोगों ने, नेताओं ने दौड़-धूप करनी शुरू की तो सरकार हरकत में आई और उसने दोषी लोगों के खिलाफ ऐक्शन लिया । लेकिन उन मुलजिमों को नाम मात्र की मदद दी गई और अभी तक मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

माननीय सदस्य श्री रजनी रंजन साहू के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शासन ने उत्तर प्रदेश में विगत 6 महीने में हरिजनों के प्रति हुई आपराधिक घटनाओं का विवरण देते हुए इंगित किया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने में 116 हत्यायें, और 138 महिलाओं पर बलात्कार की घटनायें हो चुकी हैं । देखा जाए तो इस प्रकार से हरिजनों पर और हरिजन महिलाओं पर लूटपाट और बलात्कार की घटनाये हो रही हैं। हमारी कांग्रेस सरकार भी इसकी समर्थक है और अभी गांधी जी के आदर्शों की बात की गई थी, गांधी जी के आदर्शों की बात और उनके आदर्शों का पालन हमारे कांग्रेस के लोग और बातों में करें या न करें लेकिन बुरा न देखना, बुरा न कहना और बुरा न सुनना, इस सिद्धांत पर ये लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं । मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मामले पर वे अपने कान खोलें, अपनी आंखें खोलें और अपनी जुबान खोलें और उत्तर प्रदेश में दलितों व हरिजन महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री मुलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इनमे एसोसिएट करता हूं।

श्री गोविन्द राम मिरी (मध्य प्रदेश) उपसभाध्यक्ष महोदय, मै भी इनको एसोसिएट करता हूं और कहना चाहता हूं कि वहां व्यवस्था सुधारी जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shree Sangh Priya Gautam.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, हमारे संविधान की धारा 46 में:—

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

This is what is provided in the Constitution. So, this is mandatory on the part of each and every Government, either in the States or at the Centre, to protect the economic, educational, social and other interests of the weaker sections of the society, particularly of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

इसमें बहुत कम समय लेते हुए दो मिनट में मैं अपनी बात कहूंगा। अनुसूचित जाति, जनजाति की महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको अनुभव है, इतने दिनों से आप भी यहां देखते हैं कि रोज, आए दिन यहां चर्चा होती है लेकिन ये कम नहीं हो रहे, खत्म नही हो रहे। तो आखिर कहीं न कहीं कमी है और कुछ न कुछ कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में हुआ है। बड़ी मुश्किल से आई.पी.एस. और आई.ए.एस. के अधिकारी शैडयूल्ड कास्ट जाति मे से बनते हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय... (**व्यवधान**)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (COL. RAM SINGH): There is no provision for a debate during Special Mentions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): He has given his name

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I have been permitted.

और मेरा अलग स्पेशल मेंशन है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): The hon. Chairman has permitted him.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I have been permitted by the Chairman. I have given a separate notice for the Special Mention.

मान्यवर, मैं 3 उदाहरण देता हूं —

Shri R. S. Pushkar, IG is under suspension because of this Government. Shri C. D. Kainth, IG, is under investigation and is likely to be suspended. Then Shri Chothe Lal, IG, died due to frustration because he was not well posted. Shri I. S. Mehra, DIG, committide.. (Interruptions).

SHRI RAM GOPAL YADAV (UTTAR PRADESH): Sir, he is absolutely wrong. Sir, Shri Chote Lal, DIG range Allahabad was promted as IG. Sir, those who have been suspended have been suspended correctly. The Government has taken corrective measurse. (interruptions).

श्री संघ प्रिय गौतम : आप मेरी बात को कंट्राडिक्ट कर सकते हैं लेकिन बाद में। मैं आंकड़े दे रहा हूं।

Shri I. S. Mehra, DIG, committed suicide because of tension. Shri Dharapuri, DIG, was taken like handcuffed in a

police van in Lucknow. Shri Bua Singh, DIG, was transferred because of his incident. But, the District Magistrate, SSP and SPCO have not been transferred. Mr. Sharda Prasad, District Magistrate is under suspension. Shri Sham Lal, ADM, Allahabad is under suspension.

रसी नंगला दाहो का केस, इसमें सारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उस इंस्पेक्टर को एस0एस0पी0 ने सस्पेंड कर दिया लेकिन वह इनके लोगों से मिला हुआ था।

Shri Mulkiat Singh, SSP, Aligarh has been suspended. Because, he suspended the Inspector of R. S. Dadan This has

मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, नाम के साथ दे रहा हूं।

never happened in the history of independent India.

ये तो स0पा0-ब0स0पा0 की सरकार है। मान्यवर, बलात्कार हुआ था नारायणपुर में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं और बाबू बनारसीदास मुख्य मंत्री थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने उस सरकार को केवल सामूहिक बलात्कार के ऊपर बरखास्त कर दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर ये कब बन्द होगा? बीस औरतों के साथ जो बलात्कार हुआ है.... (**व्यवधान**) इसकी सजा कैसे मिलेगी।

Sir, it is sufficient ground to dismiss this Government. This Government is anti-Scheduled Castes, anti-ptor, anti-women and anti-downtrodden people. Therefore, keeping the prevailing situation in view, and in order to check the atrocities in the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the Central Government should dismiss this Government.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, विषय एक ही था जिस पर श्री राम रतन राम जी ने और संघ प्रिय गौतम जी ने अपने विचार रखे लेकिन दोनों के विचारों में मतभेद है। श्री राम रतन राम जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां तक अधिकारियों का सवाल है, हरिजन और दलित वर्ग के लोगों को तरक्की दी, उनको संरक्षण दिया है और इस सरकार के जमाने में दलित वर्ग के अधिकारी सुखी हैं लेकिन इसके विपरीत संघ प्रिय गौतम जी ने इसको कंट्राडिक्ट किया है।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जो तथ्य इन लोगों ने दिये है, वे सही तथ्य नहीं है। केवल एक दल के भावनात्मक लगाव के कारण इन लोगों ने असत्य तथ्यों को सदन में रखने का प्रयास किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। छोटेलाल जी जो डी.आई.जी थे... (**व्यवधान**)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, has he been allowed to associate himself?

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): He has given in writing. He has taken the permission.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, is he associating or disassociating? We are supposed to associate ourselves, not disassociate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): He has given in writing.

श्री ईश दत्त यादव : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। श्री छोटेलाल, जिनके लिये उन्होंने कहा कि मर गये, वह डी. आई.जी. थे और श्री मुलायम सिंह ने उनको प्रमोट किया आई.जी. के पद पर। यह फैक्टस उन्होंने गलत कहा है, मान्यवर।

श्री संघ प्रिय गौतम : उन्हें दफ्तर में बिठा दिया। ... (**व्यवधान**)

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, जहां भी हरिजनों के खिलाफ उत्पीड़न का मामला मिल रहा है, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ की जिस घटना का जिक्र किया है, उसमें एस0एस0पी0, डिप्टी एस0पी0 और दरोगा सारे के सारे लोग सस्पेंड हो गये हैं और उसमें सी0आई0डी0 जांच शुरू हो गई।

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, एस0 एस०पी० को क्यों सस्पेंड किया ? क्योंकि उसने इंस्पेक्टर को पहले सस्पेंड कर दिया । . . (व्यवधान) क्योंकि वह शैडयूल्ड कास्ट का है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : बस, खत्म करिये ।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं । उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी घटना हुई जिसमें हरिजनों का सामूहिक नरसंहार हुआ था वह देवली की घटना थी । उस समय वी0पी0सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे । जिन लोगों ने वहां 27 हरिजनों की निर्मम हत्या की, उनमें जो मेन मुल्जिम था उसके सगे भतीजे को इनकी पार्टी के लोगों ने टिकट देकर के लोक सभा में भेज दिया । इतने तो यह हरिजनों के समर्थक हैं?

श्री संघ प्रिय गौतम : . . . (व्यवधान) आपने तो सारे अपराधी राजनीति में भेज दिये ।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर, मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को और माननीय मुलायम सिंह जी को जो प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं । जहां कहीं भी हरिजन उत्पीड़न की घटना उनकी जानकारी में आई है, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया है । चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंधित रहा हो, किसी भी दल से संबंधित रहा हो और विशेषता यह है मान्यवर, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो हरिजन उत्पीड़न को छिपाती थी । यद्यपि इनके समय में ज्यादा हरिजनों का उत्पीड़न हुआ । लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ऐसी घटनाओं पर एक्शन ले रहे हैं । . . . (व्यवधान)

मान्यवर, अलीगढ़ को जिस घटना का इन्होंने जिक्र किया, इनकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं जो चुनाव में और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चारों खाने चित्त हो गये, वह उस दिन वहीं मौजूद थे जिस दिन अलीगढ़ की घटना हुई और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिये उन्हों ने यह प्लानिंग किया । जो दोषी पाये जायेंगे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी ।

Stopping People from Paying Tributes to Baba Saheb Ambedkar on 6-12-94, by Delhi Police at Shahdara

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद । मान्यवर, मैं एक ऐसे मामले को विशेष उल्लेख के जरिये आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं जिसकी वजह से दिल्ली और उसके आसपास के लोगों में दिल्ली सरकार की पुलिस के खिलाफ जबर्दस्त आक्रोश है । छः दिसम्बर को जब सारा देश बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्य-तिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था; उत्तरी पूर्वी दिल्ली की हमारी समाजवादी पार्टी की यूनिट ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिये शाहदरा घोंडा चौक में एक सभा का आयोजन किया था । जब इसकी पूरी तैयारी हो गई थी, वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंच गये थे तथा पुलिस को भी इसकी सूचना वैल-इन-एडवांस दे दी गई थी, अक्समात वहां पर पुलिस पहुंच गई जिसने सभा को डिस्टर्ब किया और बाबा साहेब अम्बेडकर का रखा चित्र भी फाड़ दिया तथा असम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया । जब उस कार्यक्रम की संयोजिका और नोर्थ ईस्ट दिल्ली की हमारी पार्टी की नेता श्रीमती उषा यादव और अनूप सागर ने इसका प्रतिवाद किया तो तमाम लोगों को जबरन गिरफ्तार करके पुलिस भजनपुरा थाना ले गई । इससे जनता में आक्रोश बढ़ा और थाने का घेराव किया । पुलिस ने 856 लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया । तो मान्यवर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में अपने ऊपर जबरदस्त अत्याचारों को झेला, यह किसी से छिप नहीं है । जिस व्यक्ति ने देश के संविधान के निर्माण करने में, देश के दबे-पिसे लोगों को इज्जत दिलाने में इतना जबर्दस्त काम किया, सारा देश जिनके प्रति श्रद्धावनत हो, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये पुलिस इजाजत न दे और एक तरफ सेंट्रल हाल में और दूसरी जगह हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हों, जो दलित है, पीड़ित है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके मन में अपारश्रद्धा है बाबा साहेब अम्बेडकर को । नंगे बदन,